UPHR010035802026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थित– रीता कौशिक, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code U.P. 5728

दाण्डिक निगरानी संख्या–90/2026

सुधीर कुमार पुत्र राजाराम निवासी बजेहरा सिरसा, जिला हरदोई।

----------निगरानीकर्ता

बनाम

राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी), जिला हरदोई।

----------उत्तरदाता

निर्णय

1– यह दाण्डिक निगरानी धारा 438 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत निगरानीकर्ता सुधीर कुमार द्वारा मु०अ०सं०–490/2025, अन्तर्गत धारा 281, 125(a), 125(b) बी०एन०एस०, थाना पिहानी, जिला हरदोई के प्रकरण में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16.05.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– संक्षेप में, निगरानी के तथ्य यह हैं कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता का वाहन मोटरसाइकिल पंजीयन सं०–UP30DT8713, मु०अ०सं०–490/2025, अन्तर्गत धारा 281, 125(a), 125(b) बी०एन०एस०, थाना पिहानी, जिला हरदोई के मामले में निरूद्ध है। उक्त वाहन को निर्मुक्त किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 16.05.2026 में प्रार्थनापत्र उत्तर प्रदेश मोटरयान (11 वां संशोधन) नियमावली 1998 के नियम 203(ख)(2) के अनुसार वाहन के चालक का ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी पर बल देते हुए तर्क किया गया कि वाहन का स्वामित्व उसके नाम सिद्ध है। वाहन का तकनीकी परीक्षण हो चुका है। उक्त वाहन खुले आसमान खुली जगह में रखने से क्षतिग्रस्त हो रहा है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदश दिनांकित 16.05.2026 के बने रहने से उसको अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः वाहन को निर्मुक्त किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा निगरानी का विरोध किया गया।

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.07.21 10:26:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5– मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मु०अ०सं०–490/2025, अन्तर्गत धारा 281, 125(a), 125(b) बी०एन०एस०, थाना पिहानी, जिला हरदोई में वाहन निरूद्ध होना कथित है तथा घटना के समय चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण निगरानीकर्ता/आवेदक का वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति यदि कोई हो तो उसको प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पर्याप्त प्रतिभू लेकर वाहन निर्मुक्त किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय सिक्योरिटी लेकर वाहन को निर्मुक्त कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 16.05.2026 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 16.05.2026 निरस्त किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ इस निर्देश के साथ वापस प्रेषित की जाती है कि वह वाहन निर्मुक्ति हेतु पूर्व में पारित आदेश दिनांकित 16.05.2026 से प्रभावित हुए बिना पुनः वाहन निर्मुक्ति के संबंध में विधि अनुसार आदेश पारित करे।

(रीता कौशिक)

दिनांकः 20.07.2026 सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीता कौशिक)

दिनांकः 20.07.2026 सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।